



क्रमांक 654 / बै.प्र. / एपीडीएमबी / 2025

बिलासपुर, दिनांक : 25.11.2025

कार्यालयीय ज्ञाप/OFFICE MEMORANDUM

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 338/बै.प्र./APDMB/2023 बिलासपुर दिनांक 24.01.2025 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 48(2) (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :-

1. 48(2)(2) समस्त विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष

- | | |
|---|---|
| 1. अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विद्यापीठ | — प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव, आचार्य, इण्डस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विभाग
के स्थान पर
प्रो० एम.सी.राव, आचार्य, सिविल इंजी. विभाग |
| 2. अंतरविषयक शिक्षा और अनुसंधान विद्यापीठ | — प्रो० आर.के. मेहता, आचार्य, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग
के स्थान पर
प्रो० रेणु भट्ट, आचार्य, बायोटेक्नालॉजी विभाग |
| 3. जीव विज्ञान विद्यापीठ | — प्रो० सीमा राय, आचार्य, प्राणी विज्ञान विभाग
के स्थान पर
प्रो० नीलकंठ पाणिग्रही, आचार्य, मानव विज्ञान और जनजातीय विकास विभाग |
| 4. शिक्षा विद्यापीठ | — प्रो० सी.एस. वझलवार, आचार्य, शिक्षा विभाग
के स्थान पर
प्रो० रत्नेश सिंह, आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग |
| 5. कला विद्यापीठ | — प्रो० ब्रजेश तिवारी, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
के स्थान पर
प्रो० अनुराग चौहान, आचार्य, आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग |

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल पदेन पद अथवा अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के कार्यकाल जो भी पहले हो के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार/By Order

कुलसचिव/Registrar

बिलासपुर, दिनांक : 25.11.2025

पृ० क्रमांक 655/बै.प्र./एपीडीएमबी/2025

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव/Registrar